भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *473

उत्तर देने की तारीख : 05.04.2022

छात्रों के लिए छात्रावास

***473. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:**
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में छात्राओं सहित अनुसूचित जातियों (एससी)/अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए छात्रावासों की बहुत कमी है, यदि हां, तो तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कुल कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है तथा आज तक कितने छात्रवास आबंटित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से छात्रावासों के निर्माण संबंधी किन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"छात्रों के लिए छात्रावास" के संबंध में डॉ. डी.एन.वी. सेंथिल कुमार एस और डॉ. सुभाष रामराव भामरे द्वारा लोकसभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *473 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारें, तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, विभाग की स्कीमों नामत: एससी छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण संबंधी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) और ओबीसी बालकों व बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण की स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। मौजूदा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के लिए दोनों स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या **परिशिष्ट** में दी गई है। केन्द्र सरकार के पास इन सरकारों का कोई भी पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रावासों को परियोजना मंजूरी की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेंसियां दोनों स्कीमों के अंतर्गत निर्मित छात्रावासों के संचालन/आवंटन और उनके कार्यकलापोंकी निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2007-08 से अब तक, बीजेआरसीवाई स्कीम के अंतर्गत 839 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और इनमें से 669 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बताया गया है। ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 से 2021-22 तक स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या 1061 है जिनमें से अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 920 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(घ): जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.): बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों को केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है और इस प्रकार, तब से इस स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को कोई निधियां जारी नहीं की गई है। सरकार, ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु एनजीओ के वास्ते कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है।

परिशिष्ट

विगत तीन वर्षों के दौरान विभाग की स्कीमों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

बीजेआरसीवाई:

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत
महाराष्ट्र	0*	0
तमिलनाडु	12	12

* कोई पूरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है

ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की स्कीम:

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत
महाराष्ट्र	1**	0
तमिलनाडु	3	3

** अपूर्ण प्रस्ताव।

*****